न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2607/दो/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 9-6-2015 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, नसुरल्लागंज जिला सीहोर - प्रकरण कमांक 32/13-14 अपील

1- हीरालाल पुत्र रामप्रसाद
2- रामगोपाल पुत्र रामप्रसाद
3- रमेश पुत्र रामप्रसाद
निवासी ग्राम महागॉव कदीम तहसील नसरूल्लगंज जिला सीहोर ——आवेदकगण

विरूद्ध

अमृतलाल पुत्र रामचरण बलाई
ग्राम महागॉव कदीम तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर ——— अनावेदक

(आवदेकगण के अभिभाषक श्री गुलाब सिंह चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0सवसैना)

आ दे श

(आज दिनांक 01- 11 -2017 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज के प्रकरण कमांक 32/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 9 जून, 2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार नसरूल्लागंज जिला सीहोर के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वामित्व में ग्राम महागॉव कदीम की आराजी कमांक 71/1 रकबा 2.023 हैक्टर एंव 1/4 रकबा 0.829 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.852 हैक्टर भूमि है जो म0प्र0 शासन राजस्व विभाग से ग्राम के कोटवार के खाते की है किन्तु आवेदकगण द्वारा जबरन 6 ए0 भूमि पर कब्जा कर लिया है इसलिये कब्जा वापिस दिलाया

जावे। नायव तहसीलदार नसरूल्लागंज ने प्रकरण कमांक 57 अ-68/ 2013-14 पॅजीबद्व किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदकगण व्दारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उक्त भूमि के स्वत्व के निराकरण का व्यवहार न्यायालय नसरूल्लागंज में व्यवहार वाद कमांक 2-ए/2012 विचाराधीन है इसलिये संहिता की धारा 250 का दावा प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार नसरूल्लागंज ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 24-2-2014 पारित किया तथा अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति मान्य करते हुये व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का विवाद होने से अनावेदक का दावा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के यहां अपील प्रस्तुत की एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज ने प्रकरण कमांक 32/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 9 जून, 2015 से अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को मॅगाने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति आवेदकगण के अभिभाषक को प्रदान की गई। आवेदक के अभिभाषक के मौखिक तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत करने का बचन दिया, उन्हें 15 दिन का अवसर दिया गया था, किन्तु आदेश पारित होने के दिन तक उनके व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस, आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार नसरूल्लागंज के आदेश दिनांक 24-2-2014 के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के समक्ष दिनॉक 8-5-2014 को अपील प्रस्तुत की है अर्थात 72 दिन का विलम्ब अपील प्रस्तुत करने में लगा है जबकि इस हेतु 30 दिवस की समय सीमा है 72-30= 42 दिन का विलम्ब है। अनावेदक व्दारा अवधि विधान की

की धारा-5 में बताये अनुसार एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्यों अनुसार नायब तहसीलदार नसरूल्लागंज के आदेश दिनांक 24-2-2014 को उनके अभिभाषक को दिनांक 2-4-14 को नोट कराया गया है जैसाकि नायब तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 24-2-14 से स्पष्ट है और इस 2-4-14 पर औव्हर राइटिंग करके 24-2-14 बनाने का प्रयास किया गया है जो देखने साफ दिखाई देता है अर्थात जानबूझकर आवेदकगण को अनुचित लाभ पहुंचाने एंव अनावेदक को नुकसान पहुंचाने की गरज से किसी-के द्वारा किया गया है यदि 24-2-14 से 2-4-14 अर्थात 37 दिन की अवधि कम की जावे तब 42-37= 6 दिन का विलम्ब अपील प्रस्तुत करने में है और यह इतना अधिक विलम्ब नहीं है जिसे क्षमा न किया जा सके। परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा-5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित) अतएव पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज ने उक्त कारणों से विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस के साथ प्रस्तुत मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नसरूल्लागंज के दीवानी वाद क्रमांक 2 ए/12 में पारित आदेश दिनांक 27-6-14 तथा मान. द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश नसरूल्लागंज जिला सीहोर के नियमित व्यवहार अपील क्रमांक 38 ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण एंव अन्य द्वारा वाद विचारित भूमि पर किये गये स्वत्व के दावे को अप्रमाणित मानकर व्यवहार वाद निरस्त हुआ है जिसका पुष्टिकरण मान. द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश

नसरूल्लागंज जिला सीहोर के आदेश दिनांक 29-8-2016 हुआ है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-6-2015 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज द्वारा प्रकरण कमांक 32/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 9 जून, 2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर